संख्याः-43/2015-515/नौ-5-15-02बजट/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः०२ मार्च, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में टेनरी वेस्ट वाटर पम्पिंग स्टेशन नं0-4 (बुढ़ियाघाट) जाजमऊ, कानपुर की चोक राइजिंग मेन के बदलने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही रु0 73.36 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर के पत्र संख्या-डी/191/न.आ.प्रो. सेल/2014-15, दिनांक 22.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राज्य सेक्टर के अन्तर्गत **जाजमऊ, कानपुर में स्थापित एवं संचालित टेनरी वेस्ट वाटर पम्पिंग स्टेशन नं0-4 बुढ़ियाघाट से 36 एमएलडी तक ले जाने वाली 300 मिमी व्यास की पी.वी.सी.लाइन के स्थान पर नई राइजिंग मेन डाले जाने हेतु रु0 73.36 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के साथ ही रु0 73.36 लाख को अवमुक्त** कर व्यय किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण संयुक्त सचिव/ सचिव के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करने तथा भौतिक प्रगति एवं कार्यो की गुणवत्ता की पुष्टि करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(6) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(7) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

(8) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-आयोजनागत-"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत डाला जायेगा।

----------2/

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2015-515(1)/नौ-5-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
6. वित्त(ई-8) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-3/4
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ.प्र. जल निगम, कानपुर।
9. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

THR GO Vittiye swikriti